संख्या-13/2719सी0डी0/ 46-3-14-1000(76)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
शामली, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, मुरादाबाद,अमरोहा,बदायूँ, अलीगढ़, सीतापुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2014

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) मद में अनुदान संख्या-83 एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्ययोजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2166सी0डी0/46-3-14-1000(76)/2014, दिनांक 18.11.2014, जिसके द्वारा योजनान्तर्गत 41 अन्तर्ग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु कार्ययोजना लागत रू0 17,21,86,400.00 (रू0 सत्रह करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष शासकीय अंशदान की धनराशि रू0 13,77,48,000.00 (रू0 तेरह करोड़ सतहत्तर लाख अड़तालिस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीक़ृति प्रदान की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी) में सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्य हेतु नई मांग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0 21,21,00,000.00 (रू0 इक्कीस करोड़ इक्कीस लाख मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 7,43,52,000.00 (रू0 सात करोड़ तैंतालिस लाख बावन हजार मात्र), के संबंध में कुल रू0 9,51,92,300 (रू0 नौ करोड़ इक्यावन लाख बानबे हजार तीन सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये, इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 20 सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु, उनके सामने कालम-6 में अंकित धनराशि के सापेक्ष निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार, 80 प्रतिशत शासकीय अंशदान रू0 7,43,52,000.00 (रू0 सात करोड़ तैंतालिस लाख बावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

4- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित उपयुक्त सड़कों का निर्माण शासनादेश संख्या-1425/क0नि0प्र/26-3-2013-13(21)/2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 में अनुसूचित जाति सब-प्लान के लिये निर्धारित अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर किया जा रहा है।

5- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाती है तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुये संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाये।

6- कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/ डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति तथा सड़कों के आगणनों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सड़कों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। विस्तृत आगणन यदि मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

7- स्वीकृत कार्यों हेतु चयनित भूमि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह भूमि निर्विवादित हो। यदि किसी विभाग अथवा संस्था के क्षेत्र में सड़क के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जाता है तो संबंधित विभाग/संस्था की अनापत्ति कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही प्राप्त कर ली जाये।

8- कार्य विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा की अवधि में ही पूर्ण हो जाय। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुये अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

9- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था गन्ना विकास विभाग की अभियन्त्रण शाखा होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जाय। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

10- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

11- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज चार्जेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था अभियन्त्रण शाखा, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों,बजट-मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों आदि के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह में गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी । संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर राज्यस्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियत ''डिस्पले बोर्ड'' पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

16- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04- जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-18-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-417/26-ब0प्र0-2014, दिनांक 29 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव,

संख्या-13/2719(1)सी0डी0/ 46-3-14-1000(76)/2014 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,
13- गार्ड फाइल।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-13/2719सी0डी0/ 46-3-14-1000(76)/2014, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग ०का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश 80 प्रतिशत के अनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 5.01.2011के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शामली	1	शामली बनत पुल से भिक्की गोहरपुर मार्ग	0.600	31.537	24.63	2.74	21.89
		1	जनपद शामली का योग	0.600	31.537	24.63	2.74	21.89
2	मेरठ	1	शाह जैनपुर जिंजोखर रोड से घसौली मार्ग	0.500	23.286	18.19	2.02	16.17
		1	जनपद मेरठ का योग	0.500	23.286	18.19	2.02	16.17
3	हापुड़	1	बुकलाना नहर पटरी से ग्राम बुकलाना सैनी बस्ती	0.900	39.348	30.73	3.41	27.32
		1	जनपद हापुड़ का योग-	0.900	39.348	30.73	3.41	27.32
4	बुलन्दशहर	1	स्याना सैदपुर रोड से महाव सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग	0.400	13.600	10.62	1.18	9.44
		2	औरंगाबाद जमालपुर रोड से बिहरा	0.900	43.866	34.26	3.81	30.45
		3	ग्राम अमरपुर हनुमान मन्दिर से चौधरी फार्म	0.350	23.683	18.50	2.06	16.44
		4	सलेमपुर शिवाली मार्ग से नासिरपुर भैसरौली मार्ग	0.500	24.527	19.16	2.13	17.03
		4	जनपद बुलन्दशहर का योग	2.150	105.676	82.54	9.18	73.36
5	मुरादाबाद	1	पन्नूवाला से करनावाला जब्ती मार्ग अन्तिम भाग	0.650	55.840	43.62	4.85	38.77
		1	जनपद मुरादाबाद का योग-	0.650	55.840	43.62	4.85	38.77
6	अमरोहा	1	ग्राम भारापुर से ग्राम पाल तक	1.850	92.242	72.03	8.00	64.03
		1	जनपद अमरोहा का योग-	1.850	92.242	72.03	8.00	64.03

http://shasanadesh.up.nic.in

7	बदायूँ	1	बरेली बदायूँ मार्ग से मुरागौटिया सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	1.000	59.808	46.72	5.19	41.53
		1	जनपद का योग	1.000	59.808	46.72	5.19	41.53
8	अलीगढ़	1	कमालपुर से बलरामपुर सम्पर्क मार्ग	1.500	56.956	44.49	4.94	39.55
		1	जनपद अलीगढ़ का योग-	1.500	56.956	44.49	4.94	39.55
9	सीतापुर	1	संजय गांधी मार्ग से शीतलपुरवा	0.920	58.340	45.57	5.06	40.51
		2	अशरफपुर मार्ग से अमीनाबाद सम्प र्क मार्ग	1.140	74.070	57.86	6.43	51.43
		3	चीनी मिल रोड से जैनापुर का शेष भाग	0.750	46.346	36.20	4.02	32.18
		4	लौली पुलिया हरिहरपुर रोड से धर्मापुर का शेष भाग	0.870	55.987	43.73	4.86	38.87
		5	गौरिया जलालपुर मार्ग से अन्धपुर	1.500	95.640	74.70	8.30	66.40
		5	जनपद का योग	5.180	330.383	258.06	28.67	229.39
10	हरदोई	1	पिहानी इटारा मार्ग 03 कि0मी0 से पकरिया पुरवा सम्पर्क मार्ग	1.050	59.357	46.36	5.15	41.21
		2	गोढ़धार मार्ग से जासू सम्पर्क मार्ग	0.430	24.080	18.81	2.09	16.72
		3	भदेउरा मौरावा मार्ग से पियरन पुरवा सम्पर्क मार्ग	0.670	34.220	26.73	2.97	23.76
		4	पिरोजापुर मार्ग (2कि0मी0 के आगे) नन्दापुरवा सम्पर्क मार्ग	0.730	39.190	30.61	3.40	27.21
		4	जनपद का योग	2.880	156.847	122.51	13.61	108.90
		20	महायोग	17.210	951.923	743.52	82.61	660.91

(रूपया सात करोड़ तैंतालिस लाख बावन हजार मात्र)

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in